भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3459
उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

समेकित लिंग संवेदी शिक्षा

†3459. **सुश्री एस. जोतिमणि:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में लिंग संवेदी शिक्षा को शामिल करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करने की योजना है;
(ख) यदि हाँ, तो ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षकों और छात्रों में लिंग आधारित संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार शैक्षणिक संस्थानों में लिंग आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ.) क्या सरकार ने लैंगिक भेदभाव और हिंसा को कम करने में लैंगिक शिक्षा के प्रभाव पर कोई राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन या आकलन किया है; और
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च): राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुच्छेद 6.20 में प्रावधान है कि शिक्षकों, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं द्वारा लाई गई इस नई स्कूल संस्कृति के साथ-साथ एक समावेशी स्कूल पाठ्यक्रम लाने के लिए किए जाने वाले तदनुरूप परिवर्तनों के माध्यम से छात्रों को संवेदनशील बनाया जाएगा। स्कूल पाठ्यक्रम में शुरू से ही सभी व्यक्तियों के प्रति सम्मान, सहानुभूति, सहिष्णुता, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, अहिंसा, वैश्विक नागरिकता, समावेशिता और समता जैसे मानवीय मूल्यों पर आधारित सामग्री शामिल होगी। इसमें विविधता के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान विकसित करने के लिए विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, लैंगिक पहचान आदि का अधिक विस्तृत ज्ञान भी शामिल होगा। स्कूल पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को दूर किया जाएगा, और ऐसी अधिक सामग्री शामिल की जाएगी जो सभी समुदायों के लिए प्रासंगिक और संबन्धित हो।

इसके अलावा, एनईपी 2020 के पैरा 6.14 में यह प्रावधान है कि विशिष्ट विकलांगताओं (सीखने की विकलांगताओं सहित) वाले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इसके बारे में जागरूकता और ज्ञान सभी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग होगा, साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता और सभी अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के प्रति संवेदनशीलता भी होगी ताकि उनके अल्प प्रतिनिधित्व को उलटा जा सके।

एनईपी 2020 के अनुपालन में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने फाउंडेशनल स्टेज (एनसीएफ-एफएस), 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई), **2023** विकसित की है। एनसीईआरटी ने स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के विकास के लिए पाठ्यचर्या क्षेत्र समूहों का भी गठन किया है। एनसीईआरटी ने अपनी सभी नव विकसित पाठ्यपुस्तकों में लिंग संबंधी चिंताओं को आधारभूत चरण से लेकर मध्य चरण तक एकीकृत किया है। एनसीईआरटी ने स्कूल पाठ्यक्रम में लैंगिक पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को दूर करने का हर संभव प्रयास किया है और उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षाओं में लिंग के प्रति संवेदनशील सामग्री प्रस्तुत की है। मृदंग, शहनाई, सारंगी, जॉयफुल मैथमेटिक्स, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड, खेल योग, खेल यात्रा और अन्य पाठ्यपुस्तकों में ऐसी सामग्री और दृश्य शामिल हैं जो लिंग के आधार पर संवेदनशील हैं और महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपरंपरागत भूमिकाओं और वैकल्पिक व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एनसीईआरटी ने शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए लैंगिक समानता और सशक्तिकरण संबंधी प्रशिक्षण सामग्री नामक शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री तैयार की है, जिसे तीन खंडों में प्रकाशित किया गया है: खंड I: लिंग और समाज संबंधी दृष्टिकोण, खंड II: लिंग और स्कूल शिक्षा प्रक्रियाएँ, और खंड III: लिंग और महिला सशक्तिकरण। इसके कई विषय एनईपी 2020 और एनसीएफ-एसई 2023 में उल्लेख की गई चिंताओं से मेल खाते हैं। इसमें शामिल कुछ विषयों में पाठ्यपुस्तक शिक्षण और लिंग संबंधी चिंताएँ, लिंग-अनुकूल कक्षाएँ बनाना, किशोरियों का मानसिक स्वास्थ्य, स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा, लिंग और हिंसा, लड़कियों और महिलाओं के लिए खेलकूद और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, और अन्य संबंधित विषय शामिल हैं।

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) नियमित रूप से शिक्षकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं और अभिमुखीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत लैंगिक संवेदनशीलता संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। छात्र जागरूकता बढ़ाने के लिए वाद-विवाद, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर निर्माण, नुक्कड़ नाटक और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी छात्रों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी (उच्चतर शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्राओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया है, जो सांविधिक प्रकृति के हैं और इसलिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए बाध्यकारी हैं। सक्षम पोर्टल, निवारण तंत्रों पर सहायता और जानकारी प्रदान करके

महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक न्याय एवं समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यूजीसी ने महिलाओं और यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक टोल–फ्री नंबर (1800-111-656) उपलब्ध कराया है।

यूजीसी द्वारा जारी किए गए "उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में महिलाओं और महिला प्रकोष्ठों (संवेदनशीलता, नीति कार्यान्वयन, निगरानी और शिकायत निवारण के लिए) के लिए एक सुरक्षित वातावरण के लिए बुनियादी सुविधाएं और सुख–सुविधाएं" शीर्षक वाले दिशानिर्देश में इस बात पर जोर दिया गया है कि विशेष रूप से महिला छात्रों के लिए एक सुरक्षित और हिंसा मुक्त वातावरण प्रदान करना संस्थानों की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।

मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) के अंतर्गत संचालित अभिमुखीकरण एवं संवेदीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) के संकाय सदस्यों का अभिमुखीकरण एवं संवेदीकरण करना है। इस कार्यक्रम के विषयों में जेंडर अध्ययन, लैंगिक समानता, जाति, वर्ग, कक्षा में जेंडर: पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों आदि में पूर्वाग्रहों की जाँच शामिल है।
स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) मॉड्यूल 16: "शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में लैंगिक आयामों की प्रासंगिकता" स्कूल शिक्षा में लैंगिक चिंताओं को दूर करता है। हाल ही में, एनसीईआरटी के लैंगिक अध्ययन विभाग ने 4 जून, 2025 को केवीएस, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), और अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (आरआईई) के शिक्षकों और संकाय सदस्यों के लिए स्कूली शिक्षा प्रक्रियाओं में ट्रांसजेंडर संबंधी चिंताओं को शामिल करने पर एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया।

एनसीईआरटी ने वर्ष 2021-23 में "बाल यौन शोषण की रोकथाम और लैंगिक समानता हेतु भारत सरकार की चुनिंदा पहलों के प्रभाव आकलन अध्ययन" शीर्षक से एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन किया है। यह अध्ययन भारत के नौ राज्यों– हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गोवा, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम और मणिपुर– में किया गया था।

*****